संख्या-3ए-3-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013- .....3575..../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः- 03/05/2016

विषयः-राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-7922/वि0 दिनांक- 09/09/2015 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक-01/07/2015 के प्रभाव से 119 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं0- 1/1/2016-E-II (B) दिनांक-07/04/2016 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ता की दर को 119 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि-

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक- 01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग पर महंगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01/01/2016 से भुगतेय है और इसका भुगतान मई, 2016 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह जून, 2016 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश— **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे0पु0 (भत्ता)-08/2013- **3575/वि0** पटना, दिनांकः-03/05/2016

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः-3ए-3-वे0पु0 (भत्ता)-08/2013- **3575/वि0** पटना, दिनांकः-03/05/2016

प्रतिलिपिः-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013– 3575/वि० पटना, दिनांकः–03/05/2016

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महंगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाये ।

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे०पु० (भत्ता)–08/2013– 3575/वि० पटना, दिनांकः–03/05/2016

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–3/कृ०–बजट–विविध– 07/2014 2187 /कृ०, पटना, दिनांकः –10-05-2016

Fax/Mail

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक बामेति/निदेशक पी०पी०एम०/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/सहायक सांख्यिकीज्ञ–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

10/5/16

(रामजी सिंह)

सरकार के अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

3A\LF2016\Bhatt & DA /A.K.

ज्ञापांक– 2187 /कृ०, पटना, दिनांकः – 10-05-2016

प्रतिलिपि :– सचिव, (व्यय) वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2187 /कृ०, पटना, दिनांकः – 10-05-2016

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई–टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।